

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

YAMUNA SPORTS COMPLEX

Surajmal Vihar, Delhi-92

Email:- yscdda@yahoo.com

F.No.SP/YSC/0007/2021/F17/-YSC/729

Date: 30 Mar, 2022

The auction for **Disposal of unserviceable items at Yamuna Sports Complex** will be held on as is where basis is on date, time and place shown below. The details of the material can be inspected at the auction site during office hours on any working day, prior to the date of auction, between **11.00 AM to 4.00 PM** at **Yamuna Sports Complex** premises.

Before start of bid each bidder is required to deposit Rs.10,000/- (Rs. Ten Thousand Only) as earnest money in the form of Pay Order/Demand Draft in favour of "**CAU (Sports), DDA**" to be submitted Accounts branch in Yamuna Sports Complex, which will be refundable after the auction is completed except for the highest bidder who will have to deposit 25% (Pay Order/Demand Draft) of the offered amount after adjusting Earnest Money of Rs. 10,000/- as precaution money. Balance amount of 75% (including on 100% of the total offered amount) shall be deposited through Bank Pay Order/Demand Draft in favour of "**CAU (Sports), DDA**" within 20 days from the date of issue of demand/acceptance Letter or any extension thereof. In case the amount is not deposited within the stipulated period the entire precaution money (25% of the offered amount) deposited by the bidder shall be forfeited absolutely and no claim on this account will be raised by in any forum or court. The bidder shall be informed accordingly.

The Commissioner (Sports), DDA reserves the right to reject any bidder without assigning any reason whatsoever.

Venue of Auction : **Yamuna Sports Complex, DDA, Surajmal Vihar, Delhi-92.**
Date & Time : **08 April, 2022 at 11.00 AM.**
Reserve Price : **Rs. 60000/-**

Conditions:-

1. No T&P shall be issued by the Department.
2. Bidder should have a valid GST registration.
3. The agency will be responsible if any loss/damage/injury/mis-happening caused during the time period of work and removal of item. The agency will lift the items as per orders/instructions of Secretary (YSC) and S.O/AD(Hort.)/YSC.
4. Validity of the Bid shall be 30 days from the date of Auction.
5. For any lapse on the part of the agency, the decision of the Commissioner (Sports) shall be final and binding upon the bidder and shall be called in any question before any forum.
6. The agency/contractor will be liable for any Tax liability.
7. The GST shall be charged extra as applicable.
8. Time allowed for lifting the materials shall be 30 days.
9. In case the material is not lifted within the stipulated period the earnest money deposited by the highest bidder shall be forfeited.

-sd-
S.O.(Hort.)/YSC

Copy to:-

1. Commissioner (Sports) DDA: For information please.
2. Sr. A.O/CAU (Sports) -For information please.
3. Auction Committee Members – SO(Hort.)/YSC, AD(Hort.)/CWGVSC & AAO/YSC.
4. Director (System), DDA through e-mail: ddatender@dda.org.in.
5. Secretaries of all Sports Complexes with the request to arrange to place the auction notice on the notice board of the complexes.
6. S.O/AD(Hort.)/YSC For ensuring proper display of items on the above mentioned specified date.
7. Notice Board/YSC.

-sd-
S.O.(Hort.)/YSC

दिल्ली विकास प्राधिकरण

यमुना खेल परिसर

सूरजमल विहार, दिल्ली -92

ईमेल :- yscdda@yahoo.com

F.No. एसपी/वाई.एस.सी/0007/2021/एफ17-वाई.एस.सी/729

तिथि: 30 मार्च, 2022

यमुना खेल परिसर में अनुपयोगी वस्तुओं के निपटान के लिए नीलामी नीचे दर्शाई गई तिथि, समय और स्थान के आधार पर होगी। सामग्री के विवरण का निरीक्षण नीलामी स्थल पर कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस में, नीलामी की तिथि से पूर्व, पूर्वाह्न 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच यमुना खेल परिसर परिसर में किया जा सकता है।

बोली शुरू होने से पहले प्रत्येक बोलीदाता को खाता शाखा जमा करने के लिए "सीएयू (स्पोर्ट्स), डीडीए" के पक्ष में पे ऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बयाना राशि के रूप में 10,000/- (केवल दस हजार रुपये) जमा करना आवश्यक है। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो नीलामी पूरी होने के बाद वापस किया जाएगा, उच्चतम बोली लगाने वाले को छोड़कर, जिसे रुपये की बयाना राशि को समायोजित करने के बाद प्रस्तावित राशि का 25% (पे ऑर्डर / डिमांड ड्राफ्ट) जमा करना होगा। 10,000/- ऐहतियाती राशि के रूप में। मांग/स्वीकृति पत्र जारी होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर 75% की शेष राशि (कुल प्रस्तावित राशि के 100% सहित) "सीएयू (स्पोर्ट्स), डीडीए" के पक्ष में बैंक पे ऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी। या उसका कोई विस्तार। यदि राशि निर्धारित अवधि के भीतर जमा नहीं की जाती है तो बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूरी ऐहतियाती राशि (प्रस्तावित राशि का 25%) पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी और इस खाते पर किसी भी मंच या अदालत द्वारा कोई दावा नहीं किया जाएगा। बोलीदाता को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

आयुक्त (खेल), डीडीए के पास बिना किसी कारण बताए किसी भी बोलीदाता को अस्वीकार करने का अधिकार है।

नीलामी का स्थान : यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डीडीए, सूरजमल विहार, दिल्ली- 92 ।

दिनांक और समय : 08 अप्रैल, 2022 में 11.00 पूर्वाह्न ।

आरक्षित मूल्य : ₹ 60000/-

शर्तें:-

1. विभाग द्वारा कोई टीएंडपी जारी नहीं किया जाएगा।
2. बोलीदाता के पास वैध जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए।
3. एजेंसी जिम्मेदार यदि कोई हानि/क्षति/चोट हो जाएगा गलत काम करते हैं और आइटम को हटाने की समय अवधि के दौरान की वजह से गलत । एजेंसी सचिव (वाई.एस.सी) और एस.ओ/ए.डी(होर्ट)/वाई.एस.सी के आदेशों/निर्देशों के अनुसार वस्तुओं को उठाएगा।
4. नीलामी की तिथि से बोली की वैधता 30 दिन होगी।
5. एजेंसी की ओर से किसी भी चूक के लिए, वह आयुक्त (खेल) का निर्णय अंतिम और बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा और किसी भी फोरम के समक्ष किसी भी प्रश्न में कहा जाएगा।
6. एजेंसी / ठेकेदार किसी भी कर देयता के लिए उत्तरदायी होगा।
7. जीएसटी लागू होने पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
8. सामग्रियों को उठाने के लिए समय 30 दिनों का होगा।
9. यदि सामग्री को निर्धारित अवधि के भीतर नहीं उठाया जाता है, तो उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा जमा किए गए ईए रेन मनी को जब्त कर लिया जाएगा।

-sd-

एस.ओ(होर्ट)/वाई.एस.सी

कॉपी करें: -

1. आयुक्त (खेल) डीडीए: कृपया जानकारी के लिए।
2. सीनियर एओ/सीएयू(एसपोर्ट्स) - कृपया जानकारी के लिए।
3. नीलामी समिति के सदस्य - एसओ (बागवानी)/वाईएससी, एडी (बागवानी)/सीडब्ल्यूजीवीएससी और एएओ/वाईएससी।
4. निदेशक (सिस्टम), डीडीए ई-मेल के माध्यम से: ddatender@dda.org.in ।
5. सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सचिव नीलामी नोटिस को कॉम्प्लेक्स के नोटिस बोर्ड पर लगाने की व्यवस्था करने का अनुरोध करते हैं।
6. उपरोक्त निर्दिष्ट तिथि पर वस्तुओं के उचित प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए ए.डी.(होर्ट)/वाईएससी ।
7. नोटिस बोर्ड / वाई एस सी।

-sd-

एस.ओ(होर्ट)/वाई.एस.सी